ए. सूबेर

बनाम

केरल राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 639/2004)

मई 26, 2009

(वी.एस. सिरपुरकार और आर.एम. लोधा, जे.जे.)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 धारा 7,13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) और धारा 20- जैसा कि अभिकथन किया कि लोक सेवक में राजकीय कार्य के संबंध में प्राप्त परितोषण प्राप्त किये जाने वाले वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त परितोषण लिया। विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध- उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि-निष्कर्ष का औचित्य-अभिनिर्धारित-तथ्यों पर, उचित नहीं-अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य में शिकायतकर्ता को प्रस्तुत नहीं किया गया था। अभियोजन ने इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया- शिकायतकर्ता की परीक्षा के अभाव में ऐसा कोई सर्वाभूत साक्ष्य नहीं था, जो मामले के तथ्यों को साबित करे-इसके अलावा, अभियोजन पक्ष न तो छापे के दौरान उपस्थित गवाहों के साक्ष्य और न ही पंच गवाहों पर भरोसा किया-केवल शेष गवाहों के साक्ष्य जिसपर निचली अदालत बहुत अधिक भरोसा करा है, जो कि अत्यधिक संदिग्ध है। इसके अलावा,

भ्रष्टाचार का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 25/- रुपए की कथित मांग बहुत मामूली थी-केवल 20/- रुपए और 5/- रुपए के मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों की बरामदगी को रिश्वत की मांग और स्वीकृति का, उचित या पर्याप्त सबूत नहीं माना जा सकता है- अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में न तो गुणवत्ता थी और न ही विश्वसनीयता और यह अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिये पर्याप्त नहीं थे। अभियुक्त/अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

शिकायतकर्ता के ड्राईविंग लाईसेंस के लिए आवेदन किया था, जो जारी किया गया था, लेकिन आवश्यकतानुसार बुक फार्म में नहीं, अभियोजन पक्ष के अनुसार, बुक फार्म में ड्राईविंग लाईसेंस की डिलीवरी के लिए, अपीलकर्ता, उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में एक लोअर डिवीजन क्लर्क ने शिकायतकर्ता से 25/- रुपए की राशि की मांग की और प्राप्त की। निचली अदालतों ने अपीलकर्ता को धारा 7 और 13(1)(डी)के साथ धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराया।

इस न्यायालय में अपील में, विचार के लिये जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1) (डी) सपठित धारा 13(2) के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के रिकॉर्ड पर पर्याप्त कानूनी सबूत थे।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की गयी-

अभिनिर्धारितः 1.1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के आवश्यक तत्व हैं। (i) कि परितोषण स्वीकार करने वाला व्यक्ति एक लोक सेवक होना चाहिए और (ii) उसे अपने लिए परितोषण स्वीकार करनी चाहिए और परितोषण एक मकसद के रूप में होनी चाहिए या किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के लिए या अपने आधिकारित कार्य के अभ्यास में किसी व्यक्ति का पक्ष लेने या नापसंद करने के लिए या दिखाने या न दिखाने के लिए पुरस्कार। [पैरा 7], [1067.सी-डी]

1.2. जहां तक अधिनियम की धारा 13(1)(डी) का संबंध है, इसके आवश्यक तत्व हैः (i) कि उसे एक लोक सेवक होना चाहिए था; (ii) कि उसे भ्रष्ट या अवैध तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए था या अन्यथा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करना चाहिए था और (iii) कि उसे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहिए था। अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के तहत अपराध की प्राथमिक आवश्यकता लोक सेवक से किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ की मांग या अनुरोध का प्रमाण है। किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ के लिए लोक सेवक से मांग या अनुरोध के सबूत के अभाव में, धारा 13(1)(डी) के तहत अपराध को स्थापित नहीं माना जा सकता है। [पैरा 8 और 10] [1067-डी-ई;1068-सी-डी]

2. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। पीडब्ल्यू-12 (10) ने अपने पूरे बयान में एक

शब्द भी नहीं बताया कि शिकायतकर्ता की जांच क्यों नहीं की गई या उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं था। शिकायतकर्ता की जांच बी के अभाव में, मांग के तथ्य को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि विशेष न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किए और वे प्रयास विफल रहे, क्योंकि वह भारत में उपलब्ध नहीं था, इसलिए शिकायतकर्ता से पूछताछ न करने का औचित्य बनता है। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का सामना करना कठिन है। शिकायतकर्ता की जांच न करने के लिए जांच अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, नीचे की अदालतों के लिए यह खुला नहीं था कि वे साक्ष्य के रूप में शिकायत प्रस्तुत न करने के अपने स्वयं के कारण का पता लगा सकें। इसलिए, यह मानना होगा कि मांग को साबित करने के लिए सबसे अच्छा सबूत न्यायालय के समक्ष उपलबध नहीं कराया गया था। [पैरा 12] [एफ-एच; 1061-ए-बी]

3.1 अभियोजन पक्ष ने मांग को साबित करने के लिए न तो पी.डब्ल्यू-3 से पीडब्ल्यू-8 के साक्ष्य ई पर भरोसा किया, जो छापे के समय कार्यालय में मौजूद थे और न ही पंच गवाहों (पी.डब्ल्यू-1 और पी.डब्ल्यू-2) के साक्ष्य पर भरोसा किया। जांच अधिकारी (पी.डब्ल्यू-12) भी मांग के बारे में कुछ नहीं बताता है। अब एकमात्र सबूत पी.डब्ल्यू-10 का है। एफ हालांकि, पी.डब्ल्यू-10 का साक्ष्य शायद ही आरोपी द्वारा कथित तौर पर की गई मांग के स्थापित करता है। इस प्रकार मांग का तथ्य सिद्ध नहीं हुआ

है। इसके अलावा, अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का फैसला दर्ज करने के लिए सबूतों में गुणवत्ता और विश्वसनीयता का अभाव है। पी.डब्ल्यू-1 को शुरू में पक्षद्रोही घोषित किया गया था और सरकारी वकली ने उससे जिरह करने की अनुमति मांगी थी। सरकारी वकील द्वारा की गई जिरह में उन्होंने आंशिक रूप से अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। उनके साक्ष्यों पर सूक्ष्मता से विचार करने के बाद उनके साक्ष्यों पर अधिक विश्वास करना कठिन है। [पैरा 13 और 14] [1069-बी-एफ]

3.2. जहां तक पी.डब्ल्यू-2 का सवाल है, उसने अभियोजन के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया। उन्होंने गवाही दी कि उनकी गवाही दर्ज करने से दो महीने पहले उन्हें कान का दौरा पड़ा था और बीमारी और इलाज के कारण उन्हें घटना का विवरण याद नहीं आ सका। उन्होंने यह भी कहा कि वह अवसादग्रस्त मनोविकृति से पीड़ित थे। उनके साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, दो स्वतंत्र गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष के मामले को आगे नहीं बढ़ाती है। [पैरा 15] [1069-जी-एचः 1070-ए]

3.3. वास्तव में, विशेष न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अभियोजन मामले के समर्थन में पी.डब्ल्यू-10 के बयान पर बहुत अधिक भरोसा किया। हालांकि, पी.डब्ल्यू-10 के साक्ष्य गंभीर कमजोरियों से ग्रस्त हैं। विशेष न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी यह स्पष्ट नहीं था कि पी.डब्ल्यू-10 ने खुद को कहां रखा है। वह सुनने की सीमा के भीतर

नहीं था कि वह शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच हुई बातचीत को सुन सके। अपीलकर्ता का बचाव यह था कि शिकायतकर्ता ने करेंसी नोटों को उसकी जेब में डालने का प्रयास किया। पी.डब्ल्यू-10 ने कहा कि मुद्रा नोट (एमओ 1 श्रृंखला) शिकायतकर्ता द्वारा सौंपे गए थे और अपीलकर्ता द्वारा काउंटर/खिड़की के माध्यम से स्वीकार किए गए थे, लेकिन स्वीकार किया कि जब पी.डब्ल्यू-12 पहुंचा तो शिकायतकर्ता कार्यालय कक्ष के अंदर पाया गया था। यदि शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता को काउंटर/खिड़की के माध्यम से पहले ही राशि सौंप दी गई थी, तो शिकायतकर्ता के लिए उस कार्यालय कक्ष के अंदर रहने का अवसर कहां था, जहां अपीलकर्ता को बैठा हुआ बताया गया था। इससे अभियोजन पक्ष के मामले और विशेष रूप से पी.डब्ल्यू-10 के साक्ष्य पर गंभीर संदेह पैदा होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा खिड़की के बाहर से राशि सौंपी गई थी और कमरे के अंदर बैठकर अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार की गई थी। अजीत बात है, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्षमें एक नया मामला बनाया, हालांकि पी.डब्ल्यू-10 और न ही किसी ने यह कहा कि एक शिकायतकर्ता आरोपी को पैसे देने के बाद रजिस्टर पर पावती पर हस्ताक्षर करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ। वास्तव में कमरे के अंदर शिकायतकर्ता की उपस्थिति पी.डब्ल्यू-10 के साक्ष्य को अत्यधिक संदिग्ध बना देती है। पी.डब्ल्यू-बी 10, जो एक पुलिस कांस्टेबल है और पी.डब्ल्यू-12 का अधीनस्थ है, के ऐसे दिलचस्प सबूतों के साथ, उसकी गवाही पर दोषसिद्धि को कायम रखना न केवल असुरक्षित होगा, बल्कि खतरनाक भी होगा। [पैरा 16,17 और 18] [1070-ए-ई, जी-

एच; 1071-ए-बी]

4. अभियोजन पक्ष को किसी भी अन्य आपराधिक अपराध की तरह उचित संदेह से परे आरोप साबित करना होगा और आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति के उचित सबूत द्वारा यह साबित न हो जाए, यह स्थापित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण घटक है। विचाराधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि सुनिश्चित करना। [पैरा 19] [1070-बी-सी] डी

5. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने धारा 7 के तहत आरोप के लिए अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान लगाया। उसके आधार पर, यह माना गया कि अभियोजन ने अधिनियम की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध साबित कर दिया है। धारा 20 की उप-धारा(3) एक "अप्रत्याशित खंड" है और यह प्रावधान करती है कि जहां संतुष्टि तुच्छ है और न्यायालय की राय है कि भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, तो वह संदर्भित अनुमान लगाने से इंकार कर सकता है। उपधारा (1) और (2) में। इस प्रकार, न्यायालय धारा 20 के तहत कोई अनुमान लगाने के लिए बाध्य नहीं है, जहां कथित संतुष्टि बहुत तुच्छ है। इस तरह के मामले में, भ्रष्टाचार का उचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कथित मांग केवल 25/- रुपए की थी। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 20 के तहत अनुमान लगाना और उस अपराध को अधिनियम की धारा 7 के तहत दण्डनीय साबित करना उचित नहीं था। [पैरा 20, 22] [1070-डी; 1072-डी-जी]

एफ जी

6. वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, करेंसी नोटों (रु. 20/- और रु. 5/-) मूल्यवर्ग के नोटों की मात्र बरामदगी रिश्वत की मांग और स्वीकृति का उचितया पर्याप्त सबूत नहीं जाना जा सकता। जब अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों में ने तो गुणवत्ता है और न ही विश्वसनीयता, तो ऐसे सबूतों पर दोषसिद्धि कायम करना असुरक्षित होगा। यह सच है कि निचली अदालतों के फेसले समवर्ती रूप से दिए जाते हैं, लेकिन मामले पर विचार करने पर, यह पाया गया है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ विशेष न्यायाधीश ने अनुचित निष्कर्षों के कारण स्पष्ट त्रुटि की। इस मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है। [पैरा 23][1072-जी-एच; 1073-ए-बी]

संदर्भित मामलेः-

सीके दामोदरन नायर बनाम भारत सरकार, (1997) 9 एससीसी 477- पर निर्भर (पैरा 9) आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार-आपराधिक अपील संख्या 369/2004

आपराधिक अपील नंबर 97/1994 केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम द्वारा पारित आदेश, पारित निर्णय और आदेश दिनांक 03.12.2003

अपीलकर्ता की ओर से सीएन श्रीकुमार, पीआर नायक, दुष्यंत

पाराशर, वीके सिद्धार्थन, अधिक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से- कुंवर युवराज सिंह, रमेश बाबू एमआर, अधिक्ता।

न्यायालय का निर्णय आर.एम. लोधा द्वारा पारित किया।

आरएम लोधाः- विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में अपीलकर्ता ए. सुबेर को अदालत विशेष न्यायाधीश तिरुवनंतपुरम् द्वारा धारा 13(2) सपठित धारा 7 और 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के तहत दोषी ठहराया गया। विशेष न्यायाधीश, तिरूवनंतपुरम्। विशेष न्यायाधीश ने उन्हें छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास और 100/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। धारा 7 के तहत डिफाल्ट शर्त के साथ और एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारास और रुपये का जुर्माना देना होगा। अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत अपराध के लिए डिफॉल्ट शर्त के साथ 250/-। उनकी दोषसिद्धि और सजा में केरल उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, एटिंगल में एल-2 अनुभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में कार्यरत था। एक मनाफ ने ड्राइविंग लाईसेंस के लिए आवेदन किया था, जो उसे जारी कर दिया गया था, लेकिन चूंकि वह किताब के रूप में जारी नहीं किया गया था, इसलिए उसने इसे किताब के रूप में परिवर्तित

करने के लिए आवेदन किया था। मनफ द्वारा कई बार जाने के बावजूद, अपीलकर्ता ने उसे बुक फॉर्म में ड्राईविंग लाईसेंस नहीं दिया और उसे बार-बार आने के लिए कहा गया। 24 अप्रैल, 1989 को, जब मनाफ कार्यालय गए, तो अपीलकर्ता ने उन्हें सूचित किया कि बुक फॉर्म में ड्राईविंग लाईसेंस तैयार है। अपीलकर्ता ने रुपए की मांग की। बुक फॉर्म में ड्राईविंग लाईसेंस की डिलीवरी के लिए 25/- रुपए मनफ पैसे देने के लिए तैयार नहीं था औरउसने तिरूवनंतपुरम की सतर्कता इकाई में कार्यरत उपाधीक्षक के. कृष्णा पिल्लई। (पीडब्ल्यू-12) से मौखिक शिकायत की। मनफ द्वारा की गई मौखिक शिकायत को लिखित रुप में कम कर दिया गया (विस्तार पी-20)। पीडब्ल्यू-12 ने निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान को एक अनुरोध पत्र भेजकर स्वतंत्र गवाह के रूप में कार्य करने के लिए दो व्यक्तियों की सहायता मांगी। के.कृष्णन कुट्टी (पी.डब्ल्यू-1) और एएस अब्दुल रहीम (पी.डब्ल्यू-2) को तद्नुसार प्रतिनियुक्त किया गया था। जाल के विवरण और फिनोलफथेलिन पाउडर की विशेषताओं के साथ-साथ जाल में इसके उपयोग को समझाने के बाद एक प्री-ट्रैप महाजार (म्गीण्च्.1) तैयार किया गया था। रुपए के करेंसी नोटों पर फेनोल्फथेलिन पाउडर लगाया जाता था, 20/- रुपए और 5/- रुपए मूल्यवर्ग (एमओ 1 श्रृंखला)। पी.डब्ल्यू-12 ने कांस्टेबल आर. वामन (पी.डब्ल्यू-10) को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। पी.डब्ल्यू-12, पीडब्ल्यू-1, पीडब्ल्यू-2, पीडब्ल्यू-10 और मनफ 25 अप्रैल, 1989 को दोपहर लगभग 12.30 बजे एटिंगल स्थित उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पहुंचे, जहां अपीलकर्ता काम कर रहा था। पी.डब्ल्यू-12

के निर्देशों पर पी.डब्ल्यू-10 ने खुद को ऐसे सुविधाजनक स्थान पर स्थापित किया कि जैसे ही अपीलकर्ता द्वारा पैसा (एम.ओ.1 श्रृंखला) स्वीकार किया गया और सिग्नल दिया गया, वह उस सिग्नल को इकट्ठा करने और पी.डब्ल्यू को आगे सिग्नल देने में सक्षम था। 12. जैसे ही मनफ ने ट्रैप पार्टी के लिए संकेत दिया, पी.डब्ल्यू-12 कार्यालय कक्ष में भाग गया जहां अपीलकर्ता काम कर रहा था और पी.डब्ल्यू-1 और पी.डब्ल्यू-2 की उपस्थिति में, उसने उसकी शर्ट की जेब से पैसे (एमओ 1 श्रृंखला) बरामद किए। अपीलकर्ता अपीलकर्ता के पास शर्ट की जेब में अपने स्वयं के मुद्रा नोट (डव् 2 श्रृंखला) भी थे। पी. थैंकप्पन (पीडब्ल्यू-3), एन, थैंकमोनी (पीडब्ल्यू-4), आर.राजन. (पीडब्ल्यू-5), पी. विश्वनाथ (पीडब्ल्यू-6),के. जयदेवन (पीडब्ल्यू-7) और ए. सहदेवन (पी.डब्ल्यू-8) भी उस वक्त ऑफिस में मौजूद थे, पी.डब्ल्यू-1 और पी.डब्ल्यू-2 की उपस्थिति में एक पोस्ट ट्रैप महाजार (एक्सटी.पी-2) तैयार किया गया था। एक कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयर किया गया। अपीलकर्ता के बएं हाथ को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया जो गुलाबी हो गया। एम ओ1 श्रृंखला के मुद्रा नोटों के साथ-साथ एम ओ2 श्रृंखला के मुद्रा नोटों में से एक, जो पहले से ही अपीलकर्ता की जेब में था, ने फिनोलफथेलिन परीक्षण में सकारात्मक उत्तर दिया। सोडियम कार्बोनेट पानी लगाने से शर्ट की बाई ओर की जेब भी गुलाबी हो गई। परीक्षण करने के बाद सोडियम कार्बोनेट की बोतलों की सील कर दिया गया।

3. अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

4. पीडब्ल्यू-12 ने जांच जारी रखी, ग्राम अधिकारी (पी.डब्ल्यू-11) द्वारा साइट योजन तैयार की गई और जांच पूरी होने पर जांच कागजात को सतर्कता निदेशक के माध्यम से डब्ल्यू.जोसेफ (पी.डब्ल्यू-9), संयुक्त परिवहन आयुक्त, तिरुवनंतपुरम को मंजूरी के लिए भेजा गया। पी.डब्ल्यू-9 ने अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा *7* और धारा 13(1)(डी) के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया।

5. अधिनियम की धारा *7* इस प्रकार है-

> "*7*. लोक सेवक आधिकारिक कार्य के संबंध में कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य परितोषण ले रहा है। जो कोई, लोक सेवक होते हुए या होने की आशा करते हुए, किसी व्यक्ति् से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, कानूनी पारिश्रमिक के अलावा, किसी भी उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में कोई भी परितोषण स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने का प्रयास करता है। किसी भी आधिकारिक कार्य को करने या करने से समना करने के लिए या अपने आधिकारिक कार्यों के अभ्यास में किसी

व्यक्ति का पक्ष लेने या नापसंद करने या किसी भी व्यक्ति को कोई सेवा प्रदान करने या प्रदान करने का प्रयास करने या दिखाने से इंकार करने के लिए, केंद्र सरकार के साथ। या किसी भी राज्य सरकार या संसद या किसी भी राज्य के विधानमण्डल या धारा 2 के खंड में निर्दिष्ट किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, निगम या सरकारी कंपनी के साथ, या किसी भी लोक सेवक के साथ, चाहे वह नामित हो या अन्यथा, कारावास से दण्डनीय होगा जो नहीं होगा छह महीने से कम लेकिन जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।''

6. धारा 13(1)(डी) और (2) में लिखा है-

''13. एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार; (1) एक लोक सेकव के बारे में कहा जाता है कि उसने आपराधिक कदाचार का अपराध किया है-

(ए).....

(बी).....

(सी).....

(डी) यदि, वह...

(प) भ्रष्ट या अवैध तरीकों से, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यांकन वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

(पप) लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

(पपप) एक लोक सेवक के रूप में पद पर रहते हुए, बिना किसी सार्वजनिक हित के किसी भी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

(इ).....

(2) कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक कदाचार करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो सात साल तक हो सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

7. धारा 7 के आवश्यक तत्व हैः (i) कि परितोषण स्वीकार करने वाला व्यक्ति लोक सेवक होना चाहिए: (ii) उसे स्वयं के लिए संतुष्टि स्वीकार करनी चाहिए और संतुष्टि किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के लिए या अपने आधिकारिक कार्य के अभ्यास में, किसी का पक्ष लेने या न करने के लिए एक मकसद या पुरस्कार के रूप में होनी चाहिए।

किसी भी व्यक्ति।

8. जहां तक अधिनियम की धारा 13(1)(डी) का संबंध है, इसकी आवश्यक सामग्री हैः (i) कि उसे एक लोक सेवक होना चाहिए था; (ii) कि उसे भ्रष्ट या अवैध तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए था या अन्यथा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करना चाहिए था और (iii) कि उसे अपने लिए या किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहिए था।

9. सीके दामोदरन नायर बनाम भारत सरकार 1. (1997) 9 एससीसी 477 के मामले में इस न्यायालय के पास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1)(डी) में प्रयुक्त शब्द ''प्राप्त'' पर विचार करने का अवसर था। 1947 (अब अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी), और यह आयोजित किया गया थाः

> ''12. हालांकि जहां तक अधिनियम की धारा 5(2) के साथ पठित धारा 5(1)(डी) के तहत अपराध का संबंध है, स्थिति अलग होगी। ऐसे अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी ने भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ ''प्राप्त'' किया और वह भी धारा 4(1) के तहत वैधानिक अनुमान की सहायता के बिना। अधिनियम की क्योंकि यह केवल

धारा 5(1)(ए) और (बी) के तहत अपराधों के संबंध में उपलब्ध है- और अधिनियम की धारा 5(1)(सी), (डी) या (ई) के तहत नहीं। ''प्राप्त करें' का अर्थ है अनुरोध या प्रयास के परिणामस्वरूप (कुछ) सुरक्षित करना या प्राप्त करना (शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्सनरी)। प्राप्ति के मामले में पहल उस व्यक्ति में निहित होती है, जो प्राप्त करता है और उस संदर्भ में उससे मांग या अनुरोध आईपीसी की धारा 161 के तहत अपराध के विपरीत अधिनियम की धारा 5(1)(डी) के तहत अपराध के लिए प्राथमिक आवश्यकता होगी। जिसे, जैसा कि उपर देखा गया, ''स्वीकृति या ''प्राप्ति के प्रमाण द्वारा स्ि◌ापित किया जा सकता है।''

10. कानूनी स्थिति अब यह नहीं रह गई है कि अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के तहत अपराध की प्राथमिक आवश्यकता लोक सेवक से किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ की मांग या अनुरोध का प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ की मांग या अनुरोध का प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ के लिए लोक सेवक से मांग या अनुरोध के सबूत के अभाव में, धारा 13(1)(डी) के तहत अपराध को स्थापित नहीं किया जा सकता है।

11. इस अपील में हमें जिस मुख्य प्रश्न का उत्तर देना चाहिए वह यह हैः क्या धारा 7 और 13(1)(डी) के साथ पठित 13 के तहत अपराध के

लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त कानूनी सबूत है। 2)

12. प्रारंभिक रूप से, अभियोजन पक्ष द्वारा मनफ (शिकायतकर्ता) को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। पी.डब्ल्यू-12 (आईओ) ने अपने पूरे बयान में एक शब्द भी नहीं बताया है कि मनाफ से पूछताछ क्यों नहीं की गई या उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं था। शिकायतकर्ता की जांच के अभाव में, मांग के तथ्य को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि विशेष न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किए और वे प्रयास विफल रहे, क्योंकि वह भारत में उपलब्ध नहीं था, इसलिए शिकायतकर्ता से पूछताछ न करने का औचित्य था। हमें उच्च न्यायालय से दृष्टिकोण का सामना करना कठिन लगता है। शिकायतकर्ता की जांच न करने के लिए जांच अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, निचली अदालतों के लिए शिकायतकर्ता को साक्ष्य में पेश न करने के अपने स्वयं के कारण का पता लगाना संभव नहीं था। इसलिए, यह मानना होगा कि मांग के साबित करने के लिए सबसे अच्छा सबूत न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया था।

13. अब हम जांच करेंगे कि क्या अन्य गवाहों के साक्ष्य मांग को पर्याप्त रूप से साबित करते हैं? यह कहना पर्याप्त है कि अभियोजन पक्ष ने न तो पी.डब्ल्यू-3 से पी.डब्ल्यू-8 के साक्ष्यों पर भरोसा किया है, जो छापे

के समय कार्यालय में मौजूद थे और न ही पंच गवाहों (पी.डब्ल्यू-1 और पी.डब्ल्यू-2) के सबूतों पर यह साबित करने के लिए भरोसा किया है। मांग। जांच अधिकारी (पी.डब्ल्यू-12) भी मांग के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। अब एकमात्र सबूत पी.डब्ल्यू-10 का ही बचा है। उन्होंने कहा, ''मुझे लगा कि वह (शिकायतकर्ता) उस व्यक्ति (आरोपी) से कुछ बात कर रहा था, जो अंदर खिड़की के पास बैठा था। शिकायतकर्ता ने तुरंत अपनी शर्ट कीबाई जेब से पैसे निकाले और खिड़की से पेश किए। हमें डर है, पी.डब्ल्यू-10 के साक्ष्य शायद ही आरोपी द्वारा कथित तौर पर की गई मांग को स्थापित करते हैं। इस प्रकार, मांग का तथ्य सिद्ध नहीं हुआ है।''

14. इसके अलावा, हमने पाया कि अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का फेसला दर्ज करने के लिए सबूतों में गुणवत्ता और विश्वसनीयता का अभाव है। पी.डब्ल्यू-1 को शुरू में शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था और सरकारी वकील ने उससे जिरह करने की अनुमति मांगी थी। सरकारी वकील द्वारा की गई जिरह में उन्होंने आंशिक रूप से अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। उनके साक्ष्यों पर सूक्ष्मता से विचार करने के बाद, हमें उनके साक्ष्यों पर अधिक विश्वास करना कठिन लगता है।

15. जहां तक पी.डब्ल्यू-2 का सवाल है, उसने अभियोजन के मामले का पूरा समर्थन नहीं किया। उन्होंने गवाही दी कि उनकी गवाही दर्ज करने से दो महीने पहले उन्हें कान का दौरा पड़ा था और बीमारी और इलाज के कारण उन्हें घटना का विवरण याद नहीं आ सका। उन्होंने यह भी कहा कि

वह अवसादग्रस्त मनोविकृति से पीड़ित थे। उनके साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले में बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। इस प्रकार, दो स्वतंत्र गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष के मामले को आगे नहीं बढ़ाती है।

16. वास्तव में, विशेष न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अभियोजन मामले के समर्थन में पी.डब्ल्यू-10 के बयान पर बहुत अधिक भरोसा किया। हमें पी.डब्ल्यू-10 के साक्ष्यों से अवगत कराया गया और हमारे विचार में उसके साक्ष्य गंभीर कमजोरियों से ग्रस्त हैं। विशेष न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी यह स्पष्ट नहीं था कि पी.डब्ल्यू-10 ने खुद को कहां रखा है। वह सुनने की सीमा के भीतर नहीं था कि वह शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच हुई बातचीत को सुन सके। अपीलकर्ता का बचाव यह था कि शिकायतकर्ता ने करेंसी नोटों को उसकी जेब में डालने का प्रयास किया। पी.डब्ल्यू-10 ने कहा कि मुद्रा नोट (एमओ 1 श्रृंखला) शिकायतकर्ता द्वारा सौंपे गए थे और अपीलकर्ता द्वारा काउंटर/खिड़की के माध्यम से स्वीकार किए गए थे, लेकिन माना गया कि जब पी.डब्ल्यू-12 पहुंचा तो शिकायतकर्ता कार्यालय कक्ष के अंदर पाया गया था। यदि शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता को काउंटर/खिड़की के माध्यम से राशि पहले ही सौंप दी गई थी, तो शिकायतकर्ता के लिए उस कार्यालय कक्ष के अंदर रहने का अवसर कहां था, जहां अपीलकर्ता को बैठा हुआ बताया गया था। इससे अभियोजन पक्ष के मामले और विशेष रूप से पी.डब्ल्यू-10 के साक्ष्य पर गंभीर संदेह पैदा होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा

खिड़की के बाहर से राशि सौंपी गई थी और कमरे के अंदर बैठकर अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार की गई थी।

17. उच्च न्यायालय ने कहाः ''लेकिन सी.डब्ल्यू-1 (शिकायतकर्ता) कार्यालय कक्ष के अंदर क्यों पाया गया? हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है, संभावनाएं स्पष्ट रूप से सुझाव देती हैं कि कमरे के अंदर शिकायतकर्ता की उपस्थिति स्पष्ट रूप से एक्सटेंशन पर पावती पर हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक रही होगी। पी-23(ए) में दोहराता हूं कि इस मुद्दे पर विशिष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।'' अजीब बात है, उच्च न्यायालय ने अभियोजन के पक्ष में एक नया मामला बनाया, हालांकि यह न तो पी.डब्ल्यू-10 द्वारा बताया गया औश्र न ही किसी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोपी को पैसे सौंपने के बाद, रजिस्टर पर पावती पर हस्ताक्षर करने के लिए कमरे में प्रवेश किया था। [एक्स्ट। पी-23(ए)] वास्तव में कमरे के अंदर शिकायतकर्ता की उपस्थिति पी.डब्ल्यू-10 के साक्ष्य को अत्यधिक संदिग्ध बना देती है।

18. हमारे विचार में, पी.डब्ल्यू-10, जो एक पुलिस कांस्टेबल है और पी.डब्ल्यू-12 का अधीनस्थ है, के ऐसे दिलचस्प सबूतों के साथ, उसकी गवाही पर दोषसिद्धि को कायम रखना न केवल असुरक्षित होगा, बल्कि खतरनाक भी होगा।

19. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अभियोजन पक्ष को किसी भी अन्य आपराधिक अपराध की तरह आरोप को उचित

संदेह से परे साबित करना होगा और आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति के उचित सबूत द्वारा यह स्थापित न हो जाए, महत्वपूर्ण घटक, विचाराधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाना आवश्यक है।

20. उच्च न्यायालय ने धारा 7 के तहत आरोप के लिए अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान लगाया। उसके आधार पर, यह माना गया कि अभियोजन पक्ष ने अधिनियम की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध साबित कर दिया है।

21. अधिनियम, 1988 की धारा 20 इस प्रकार हैः-

> "20. उपधारणा जहां लोक सेवक कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य परितोषण स्वीकार करता है। (1) जहां, धारा 7 या धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत दण्डनीय अपराध के किसी भी मुकदमे में यह साबित हो गया है कि किसी आरोपी व्यक्ति ने अपने लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति से कोई संतुष्टि (कानूनी पारिश्रमिक के अलावा) या कोई मूल्यवान वस्तु स्वीकार की है या प्राप्त की है या स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयासय किया है, तो यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि

उसने उस संतुष्टि या उस मूल्यवान चीज को, जैसा भी मामला हो, एक मकसद या इनाम के रूप में स्वीकार किया या प्राप्त किया या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ या प्राप्त करने का प्रयास किया, जैसा कि धारा 7 में उल्लिखित है या, जैसा भी मामला हो बिना किसी प्रतिफल के या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसके बारे में वह जानता है कि वह अपर्याप्त है।''

(2) जहां धारा 12 के तहत या धारा 14 के खंड (बी) के तहत दण्डनीय अपराध के किसी भी मुकदमे में यह साबित हो जाता है कि कोई संतुष्टि (कानूनी पारिश्रमिक के अलावा) या कोई मूल्यवान चीज दी गई ळै या देने की पेशकश की गई है या प्रयास किया गया है किसी आरोपी व्यक्ति द्वारा दिया जाना, जब तक कि विपरीत साबित न हो, यह माना जाएगा कि उसने वह परितोषण या वह मूल्यवान वस्तु, जैसा भी मामला हो, एक मकसद या इनाम के रूप में दी या देने की पेशकश की या देने का प्रयास किया। धारा 7 में उल्लेख किया गया है, या जैसा भी मामला हो, बिना प्रतिफल के या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसके बारे में वह जानता है कि वह अपर्याप्त है।

(3) उप-धारा (1) और (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, अदालत उक्त उपधाराओं में से किसी एक में

निर्दिष्ट अनुमान लगाने से इनकार कर सकती है, यदि पूर्वोक्त संतुष्टि या चीज, उसकी राय में, ऐसी है यह मामूली बात है कि भ्रष्टाचार का कोई भी हस्तक्षेप उचित रूप से नहीं किया जा सकता है।

22. उप-धारा (3) एक'' ''

कि जहां संतुष्टि तुच्छ है और न्यायालय की राय है कि भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष निष्पक्ष रूप से नहीं निकाला जा सकता है, वह उप-धारा (1) और (2) में उल्लिखित अनुमान लगाने से इनकार कर सकता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय धारा 20 के तहत कोई अनुमान लगाने के लिए बाध्य नहीं है, जहां कथित संतुष्टि बहुत तुच्छ है। ऐसे मामले में भ्रष्टाचार का उचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कथित मांग रूपये की थी। मात्र 25/- हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा धारा 20 के तहत अनुमान लगाना और उस अपराध को अधिनियम की धारा 7 के तहत दण्डनीय साबित करना उचित नहीं है।

23. वर्तमान मामले के तथ्यों में केवल करेंसी नोटों (रू. 20रु- और रू. 5/-) मूल्यवर्ग की बरामदगी को ही रिश्वत की मांग और स्वीकृति का उचित या पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जा सकता है। जब अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों में न तो गुणवत्ता है और न ही विश्वसनीयता, तो ऐसे सबूतों पर दोषसिद्धि कायम करना असुरक्षित होगा। यह सच है कि नीचे दी गई अदालतों के फैसले समवर्ती रूप से दिए जाते हैं, लेकिन मामले पर

विचारपूर्वक विचार करने पर, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ विशेष न्यायाधीश ने अनुचित निष्कर्षों के कारण स्पष्ट त्रुटियां की। इस मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

24. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया है और यदि जुर्माना अदा किया गया है, तो अपीलकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। जमानत मुचलका रद्द किया जाता है।

अपील स्वीकार

चेतावनी: यह अनुवाद आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स टूल 'सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी लोकेश कुमार मीना, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सिमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।